

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1284 / 2014 / जयपुर

अपील संख्या – 1285 / 2014 / जयपुर

अपील संख्या – 1286 / 2014 / जयपुर

अपील संख्या – 1287 / 2014 / जयपुर

अपील संख्या – 1288 / 2014 / जयपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
वृत्त-बी जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

श्री ज्वैलरी मार्ट, सांधी बिल्डिंग
एम.आई रोड़, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री एस.एन.असावा,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा प्रस्तुत ये पाचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-बी, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक पृथक आदेश दिनांक 15.03.2013 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 6, 8(2), 9(2A), 10 सपठित धारा 25, 26, 55, 58 व 61 राजस्थान मूल्य परिवर्धित का अधिनियम 2003 के अतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरणों को सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है प्रकरणों में निम्नानुसार सृजित मांग राशियों को विवादित किया है।

अपील संख्या	क. नि.अवधि	कर	ब्याज	शास्ति धारा 9(2)ए सपठित धारा-61	शास्ति धारा-58/ नियम 19(ए)
1284	08-09	1,14,593	61,884	2,29,184	22,919
1285	09-10	1,51,335	63,588	3,02,670	45,400
1286	10-11	1,73,747	52,140	3,47,794	33,000
1287	11-12	1,61,951	29,160	3,23,902	-
1288	12-13	21,293	2130	42,586	25,000

.....क्रमशः 2

2. चूंकि पॉचों प्रकरणों के तथ्य समान हैं अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण फर्म के भागीदार श्री मनीष जौहरी की उपस्थिति में दिनांक 16.05.2012 को किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जैम्स स्टोन की प्रशमन योजना 2006 एवं सर्राफा प्रशमन योजना 2006 का लाभ प्राप्त कर रहा है। सर्वेक्षण पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माना गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर के व्यक्तियों को जैम्स स्टोन की बिक्री की गई है तथा उक्त माल को भेजने के क्रम में इश्योरेंस की राशि का भुगतान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार से बिक्रीत माल प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोरियर कंपनियों के मार्फत भेजा जाता है तथा वह स्थान राजस्थान राज्य के बाहर के है जिन्हें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर की बिक्री घोषित किया जाकर प्रशमन योजना के तहत बिक्रीयों को माना गया है।

कर निर्धारण आदेश निम्नानुसार है :-

(1) बिक्रियां क्रेडिट सेल मीमो से की गयी है जिसमें कि माल की डिलीवरी जयपुर में दिया जाना अंकित नहीं है।

(2) अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कोरियर कंपनी के मार्फत भेजा गया माल वास्तव में ग्राहक द्वारा प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। अतः इश्योरेंस कराये जाने तथा माल गंतव्य तक पहुंचाये जाने में सीधे रूप से शामिल है जिससे कि अन्तर्राज्यीय बिक्री प्रमाणित होती है।

(3) यह कि एग्जीबिट 1 की जांच से पाया गया है कि इसमें कोरियर से बाहर माल भेजने के संबंध में लिखा है तथा यह संव्यवहार केन्द्रीय बिक्री की अधिनियम, 1956 के तहत बिक्री की परिभाषा में आच्छादित होने के कारण कर योग्य है।

(4) यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

4. इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार से संपादित विक्रय संव्यवहार को अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार अवधारित कर पारित आदेशों में कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के कारण शास्ति/विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया है। जिनको विवादित करते हुये अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें पेश की गयी है।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के क्रेता व्यवहारीराज्य से बाहर के होने तथा राज्य के बाहर माल का विक्रय किये जाने के कारण प्रत्यर्थी प्रशमन योजना का लाभ लेने का अधिकारी नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल का इश्योरेंस स्वयं द्वारा करवाया गया है, जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं के स्तर

पर माल बाहर भिजवाया गया है जो कि अन्तर्राज्यीय विक्रय की श्रेणी में आता है जबकि प्रशमन योजना स्थानीय बिक्री पर ही लागू होती है। अतः व्यवहारी कर अदायगी हेतु दायी है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से अन्तर्राज्यीय विक्रय को स्थानीय विक्रय दर्शाते हुए तदनुसार बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट रूप से करापवंचन की श्रेणी में आता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण भी विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी प्रशमन योजना का लाभ ले रहा है। व्यवहारी को राज्य के बाहर के क्रेता व्यवहारियों द्वारा माल का ऑर्डर दिया गया है एवं उस ऑर्डर की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केवल कोरियर के माध्यम माल का बेचान किया गया है। माल कीमती होने के कारण इंश्योरेंस करवाया जाता है। इस प्रकार माल की डिलीवरी स्थानीय होने के कारण उसके द्वारा स्थानीय रूप से ही माल की बिक्री की गयी है जिसमें उसकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज अपनी लेखा-पुस्तकों में किया हुआ है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।


8. हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के अन्तर्राज्यीय एवं स्थानीय विक्रय के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के समस्त इन्द्राज उसकी लेखा-पुस्तकों में किये हुए हैं, ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध आरोपित की गयी है, अतः इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. जहां तक बिक्रीत माल को कोरियर के माध्यम से इंश्योरेंस करवाया जाकर विक्रय किये जाने बाबत् स्थानीय/अन्तर्राज्यीय विक्रय होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए कतिपय निर्देशों एवं जांच किये जाने के पश्चात् पुनः नियमानुसार कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को

प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रकरणों में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जावें।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय आदेश दिनांक 04.02.2014 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


(खेमराज)
अध्यक्ष